ई0एक्स0एन0–एफ(10)–4 / 2019 दिनांक 03 जून, 2019 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, –

(i) दूसरे अनुच्छेद में निम्न परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए हिमाचल प्रदेश और सेवा कर नियम, 2017 के तहत **प्ररूप जीएसटी सीएमपी–08** में एक ब्यौरा, जिसमें स्व–आकलित कर के भुगतान का विवरण होगा, जुलाई 2020 के 7वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे। ";

(ii) तृतीय अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की विवरणी हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर–4** में जुलाई 2020 के 15वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे । "।

आदेश द्वारा,
जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated 23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 34/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 21/2019- State Tax, dated the 30th May, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-4/2019, dated the 03rd June, 2019, namely:–

In the said notification,—

(i) in the second paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, for the quarter ending 31st March, 2020, till the 7th day of July, 2020.";

(ii) in the third paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that the said persons shall furnish the return in **FORM GSTR-4** of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2020, till the 15th day of July, 2020.".

By order,
Jagdish Chander Sharma,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 35 / 2020–राज्य कर

शिमला–2, 23 जून, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–4 / 2020.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोविड–19 के प्रसार के मद्देनजर यह अधिसूचित करते हैं कि, –

(i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से जून, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं की गई है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्यवाही के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा जून, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी–

(क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, किसी कार्यवाही को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्यवाही, जो भी नाम से हो; या

(ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणी, ब्यान या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है;

लेकिन, समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है–

(क) अध्याय IV;
(ख) धारा (10) की उप–धारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
(ग) धारा 39, परंतु, उप–धारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;
(घ) धारा 68, जहां तक ई–वे बिल का संबंध है; तथा
(ङ) ऊपर वर्णित अध्याय और धारा के तहत बनाए गए नियम;

(ii) जहां हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन ई–वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि, मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल, 2020 के 15वें दिन के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई–वे बिल की वैधता अवधि को अप्रैल, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा।